आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। नियमानुसार पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकुलाप की बहस पर मनन किया गया। अतः वादी का वाद प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर ह॰ मि॰ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-पावटा)